



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276281
CG-DL-E-17092026-276281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4882]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2026/भाद्र 24, 1948

No. 4882]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026/BHADRA 24, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

का.आ. 5072(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के साथ ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"5"	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 [कवर्धा - सिमगा - रायपुर - कोडेबोड - धमतरी खंड (186 किमी) को छोड़कर], संख्या 130ए, संख्या 130बी, संख्या 130सी, संख्या 130डी, संख्या 930, संख्या 43,	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार"

	संख्या 143बी, संख्या 343, संख्या 45, संख्या 49 , संख्या 53 [दुर्ग - रायपुर खंड (27 किमी)], संख्या 153, संख्या 353, संख्या 63, संख्या 163ए के उतने भाग जो छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित हैं।	
--	---	--

[फा.सं. एनएच-14013/15/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 4677 (अ), दिनांकित 24 अगस्त, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2026

S.O. 5072(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"5	So much of National Highways No. 30[excluding from Kawardha – Simga – Raipur – Kodebod – Dhamtari Section (186 km)], No. 130A, No. 130B, No. 130C, No. 130D, No. 930, No. 43, No. 143B, No. 343, No. 45, No. 49, No. 53[Durg – Raipur Section (27 km)], No. 153, No. 353, No. 63, No. 163A as are situated within the State of Chhattisgarh.	State Government of Chhattisgarh".

[F. No. NH-14013/15/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4677(E), dated the 24th August, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

का.आ. 5073(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड को कॉलम (2) में विनिर्दिष्टानुसार उक्त तालिका के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
एनएच-163	छत्तीसगढ़ राज्य में भोपालपट्टनम के पास एनएच-63 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर तेलंगाना राज्य में वेकटपुरम, वारंगल, हैदराबाद, मोइनाबाद, चेवेल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल को जोड़ने वाला और तेलंगाना/कर्नाटक सीमा पर रावुलापल्ली के पास समाप्त होने वाला राजमार्ग।	संपूर्ण एनएच छत्तीसगढ़ राज्य में है।

[फा.सं. एनएच-14013/15/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2026

S.O. 5073(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-163	The highway starting from its junction with NH 63 near Bhopalpatnam in the State of Chhattisgarh connecting Venkatpuram, Warangal, Hyderabad, Moinabad, Chevella, Manneguda, Kodangal in the State of Telangana and terminating near Ravulapalli at Telangana/Karnataka border.	Entire NH falling in the State of Chhattisgarh

[F. No. NH-14013/15/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director